

कार्यक्षेत्र

संघिय, प्रविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या - प्रविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2023/12005001

संख्याक/दिनांक: 12-09-2023

सम्बद्धता आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्याधी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक स्तर 2021-24 हेतु पूर्व में सम्पन्नित विधायक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी से सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में उक्त दिनांक 25-08-2023 एवं दिनांक 02-09-2023 को प्रेषण कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्याधी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को उक्त अनुमोदन विचार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश शुल्क हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2281-IOEEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	राजभाईजी/डी/टी/ई/ए पी/सी/ई/आई/ओ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित स्लॉट क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश राज्य के पत्र संख्या 24-115-2000-9/2022 तारीख 01 दिनांक 13 मई 2023 द्वारा पूर्व ही संवर्धित संस्था संस्थानों की शर्तों के विरुद्ध कार्याधी राजधानी में प्रविधिक शिक्षा परिषद संख्या 1207/2023 में तकनीकी संस्थानों के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्याधी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्याधी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आदेश के अनुक्रम संस्थान में समस्त संस्था (भूमि, भवन, लेब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एवं 1992 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद/कार्याधी 1992, दिनांक 01-12-2021, संविष्टत विनियमन 2016 एवं सम्बन्धित या लिखित आदेशों का अनुपालन करेगी तथा राज्य निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही उसके छात्रद्वारा से प्राप्त किया जाएगा। संस्थान के अधिकतम छात्रद्वारा में से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्धित पर संस्था द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलों में कार्याधी शर्तों और अनुपालन करेगी किम्वानुता आदेश प्राप्त होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का निर्धारण किया जाता है, तो शर्तों की पालना की जाएगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

